रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/आषाढ़ 1, 1940
No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ASHADHA 1, 1940

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

**सं. 56/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)**

**सा.का.नि.581(अ).**—उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) तथा (प) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 156 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर की ऐसा करना लोक हित में अपेक्षित है, केन्द्र सरकार एतद्वारा सा. का. नि. संख्या 331 (अ), 08 मई, 2007 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 47/2007 – सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 8 मई, 2007 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित माल) प्रवर्तन नियमावली, 2007 में संशोधन करने हेतु ऐसे संशोधन से पूर्व किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के अलावा, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:-

1(i) इन नियमों को बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित माल) प्रवर्तन नियमावली, 2018 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. उपर्युक्त नियमावली में, -

(क) नियम 2 में, -

(i) खण्ड (ख) में "पेटेंट अधिनियम, 1970 में पेटेंट के रूप में पारिभाषित," शब्द तथा अंक विलोपित कर दिए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ग) में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्द तथा अंक विलोपित कर दिए जाएंगे;

(ख) नियम 5 में, शर्त (ख) के बाद, निम्नलिखित शर्तें अन्त:स्थापित की जाएंगी, नामश: :- .

"(ग) अधिकार धारक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, बौद्धिक संपदा कानूनों अथवा किसी न्यायालय अथवा अपीलीय बोर्ड के अंतर्गत, प्राधिकारियों द्वारा बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत पंजीयन होने के उपरान्त बौद्धिक संपदा अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन करने, उसे रद्द किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने का नोटिस देते समय सीमाशुल्क आयुक्त को उसकी सूचना देगा तथा नियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण की नोटिस की वैधता के दौरान बौद्धिक संपदा कानून में इस प्रकार किए गए किसी संशोधन, रद्द

किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने को, उसकी सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अधिकार धारक अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा इसे सीमाशुल्क आयुक्त के ध्यान में लाया जाएगा;

(घ) बौद्धिक संपदा कानून के तहत प्राधिकारियों अथवा किसी न्यायालय अथवा अपीलीय बोर्ड द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार में किसी प्रकार के संशोधन, उसके रद्द किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने के मामले में, सीमाशुल्क आयुक्त, तद्नुसार नोटिस में संशोधन, नोटिस का निलंबन अथवा नोटिस को रद्द कर सकता है तथा नोटिस का तद्नुरूपी संरक्षण भी रद्द कर सकता है।"

[फा.सं. 394/04/2018- सीमाशुल्क (ए एस)]

रोहित आनंद, अवर सचिव

**नोट :-** अधिसूचना संख्या 47/2007 – सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 8 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 331 (अ), दिनांक 8 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

**No. 56/2018 - Customs (N.T.)**

**G.S.R. 581 (E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clauses (n) and (u) of sub-section (2) of section 11 of the said Act, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following rules to amend the Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007, notified by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 47/2007-CUSTOMS (N.T.), dated the 8th May, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 331 (E), dated the 8th May, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely:-

1 (i) These rules may be called the Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Amendment Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, -

(A) in rule 2, -

(i) in clause (b), the words and figures "patent as defined in the Patents Act, 1970," shall be omitted;
(ii) in clause (c), the words and figures "the Patents Act, 1970," shall be omitted;

(B) in rule 5, after condition (b), the following conditions shall be inserted, namely:-

"(c) the right holder or his authorised representative shall inform the Commissioner of Customs at the time of giving notice about any amendment, cancellation, suspension, or revocation of the Intellectual Property Right by the authorities under the Intellectual Property Laws or any Court of Law or Appellate Board, subsequent to its registration with the authorities under the Intellectual Property Law and in case of any such amendment, cancellation, suspension or revocation of the Intellectual Property Right during the validity of the notice registered under rule 4, the same shall be brought to the notice of the Commissioner of Customs by the right holder within a period of one month of the date of communication of any such amendment, cancellation, suspension or revocation of the Intellectual Property Right to the right holder or any person authorised by him in this regard;

(d) in the event of any amendment, cancellation, suspension or revocation of the Intellectual Property Right by the authorities under the Intellectual Property Law or by any Court of Law or Appellate Board, the Commissioner of Customs may accordingly amend, suspend or cancel the notice and the corresponding protection.".

[F. No. 394/04/2018-Cus.(AS)]

ROHIT ANAND, Under Secy.

**Note:** The notification No. 47/2007-CUSTOMS (N.T.), dated the 8th May, 2007, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 331 (E), dated the 8th May, 2007.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

**सं.57/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)**

**सा.का.नि.582(अ).—**सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2010-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 568 (अ), दिनांक 30 जून, 2010 के तहत प्रकाशित हुई थी, ऐसे संशोधन से पूर्व किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के अलावा, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(i) खंड (iv) और (v) हटा दिए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में "पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)," शब्द, आंकड़े और कोष्ठक हटा दिए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 394/04/2018- सीमाशुल्क (ए एस)]

रोहित आनंद,अवर सचिव

**टिप्पणी:**अधिसूचना सं. 51/2010-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्या सा.का.नि. 568(अ), दिनांक 30 जून, 2010 के तहत प्रकाशित हुई थी। ]

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

**No. 57/2018 - Customs (N.T.)**

**G.S.R.582(E).—** In exercise of the powers conferred by section 11 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 51/2010-CUSTOMS (N.T.) dated the 30th June, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 568(E), dated the 30th June, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely :-

1. In the said notification,

(i) clauses (iv) and (v) shall be omitted;

(ii) in the Explanation, the words, figures and brackets "the Patents Act, 1970 (39 of 1970)," shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 394/04/2018-Cus.(AS)]

ROHIT ANAND, Under Secy.

**Note:** The Notification No. 51/2010-CUSTOMS (N.T.), dated the 30th June, 2010, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 568(E), dated the 30th June, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.22 17:30:03 +05'30'